राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1907 / 2013 / उदयपुर

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स, उदयपुर .....अपीलाथी

बनाम

मै0 शैलेन्द्र शर्मा,
24, एन.बी. प्रताप नगर, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
ईश्वरी लाल वर्मा– सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी पी ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री राकेश मेहता, ...प्रत्यर्थी की ओर से
अधिकृत अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 08 / 03 / 2016

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 127 / वैट / 212–13 / उदयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के चारों तिमाही के बिक्री विवरण पत्र वेट–10 (वर्ष 2009–10) देरी से पेश करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 08.02.2012 द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति रू0 1,02,400 / – व कर रू0 69,500 / – का करारोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी ने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 29.07.2013 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है क्योंकि व्यवहारी ने विवरण पत्र वेट–10 विलम्ब से पेश किया है अतः विवरण पत्र विलम्ब से पेश करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने उस पर कर व शास्ति का आरोपण किया है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व शास्ति को अपास्त कर व्यवहारी की अपील स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त कर, कर व शास्ति के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जावे।

8-3-2016

लगातार.....2

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को कोई नोटिस ही जारी नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर आलौच्य अवधि का प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी होना, पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, नोटिस तामील होने का प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को बिना नोटिस जारी किये बिना ही व्यवहारी के विरूद्ध मांग सृजित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा सही रूप से कर व शास्ति को अपास्त करने का आदेश पारित किया गया हैं। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिनुसार उचित होने से यथावत रखा जाकर विभागीय अपील अस्वीकार की जावें। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **मै0 बियानी एन्टरप्राईजेज, जोधपुर बनाम वा.क.अ. उड़नदस्ता, जोधपुर निर्णय दिनांक 26.09.2012** का हवाला देते हुए, अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वेट अधिनियम,2003 की धारा 65 व नियम 48 का अध्ययन किया गया। वेट अधिनियम की धारा 65 तथा नियम 48 इस प्रकार है:–

65– शास्ति आरोपण से पूर्व सुनवाई का अवसर (Opportunity of imposition of Penalty)- "सम्बन्धित व्यक्ति या व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इस अधिनियम में वर्णित कोई भी शास्ति आरोपित नहीं की जाएगी।"

नियम 48 सुनवाई का अवसर देना व कारणों को अभिलिखत करना –"जहां कोई निर्धारण प्राधिकारी या अन्य अधिकारी किसी व्यवहारी की कर देयता में वृद्धि करता है या इस अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के अधीन उस पर या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई शास्ति आरोपित करता है या उनके हितों को हानि पहुँचाने वाला कोई आदेश पारित करता है तो उक्त प्राधिकारी या अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसा कोई आदेश उस व्यवहारी या व्यक्ति को सुनवाई का एक उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।"

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी ही नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये एवं बिना विशिष्ट नोटिस जारी किये कर व शास्ति का आरोपण कर दिया गया, जो उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी को चाहिये था कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र की सही जॉच करते एवं यदि विलम्ब से विवरण पत्र पेश किया तो व्यवहारी को इस बाबत नोटिस जारी करते। इस प्रकार बिना नोटिस जारी किये ही व्यवहारी के विरूद्ध कर व शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। जैसा कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त अपील संख्या 1321/2011/जोधपुर मै0 बियानी एन्टरप्राईजेज, जोधपुर बनाम वा.क.अ.उड़नदस्ता, जोधपुर निर्णय दिनांक 26.09.2012 में निर्धारित किया है। अतः उपरोक्त वेट अधिनियम की धाराओं व न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में कर व शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य है।

लगातार.....3

फलतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

8.3.2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य